प्रेस नोट संख्या - 24
दिनांक 22.02.2026
सराहनीय कार्य थाना अमेठी पुलिस
लूट का खुलासा, लूट के 47,400/- रुपये नगद, हैण्ड बैग, आधार कार्ड (वादी का) व घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल के साथ 03 अभियुक्त गिरफ्तार।

पुलिस अधीक्षक अमेठी श्री सरवणन टी. के निर्देशन में एवं अपर पुलिस अधीक्षक अमेठी श्री ज्ञानेन्द्र कुमार सिंह के पर्यवेक्षण में जनपद अमेठी में अपराध एवं अपराधियों के धर पकड़ हेतु चलाये जा रहे अभियान के तहत क्षेत्राधिकारी गौरीगंज श्री अखिलेश वर्मा के कुशल नेतृत्व में दिनांक 22.02.2026 को थाना अमेठी पुलिस द्वारा देखभाल क्षेत्र, चेकिंग संदिग्ध व्यक्ति, वस्तु, वाहन के दौरान मुखबिर की सूचना पर मु0अ0सं0 42/26 धारा 309(4), 317(2) बी0एन0एस0 थाना व जनपद अमेठी से संबन्धित स्पेलेण्डर प्लस मोटरसाइकिल संख्या यूपी 36 सी 8655 सवार 03 अभियुक्तों **1.सचीन कुमार चौहान पुत्र रामदर्शन चौहान निवासी ग्राम तुलापुर कोडरी मजरे नुवांवा थाना व जनपद अमेठी उम्र करीब 19 वर्ष**, 2.**सिराजुद्दीन उर्फ लकी पुत्र निजामुद्दीन निवासी लोनियापुर थाना व जनपद अमेठी उम्र करीब 19 वर्ष** व 3.**धीरज पुत्र गया प्रसाद निवासी ग्राम लोनियापुर थाना व जनपद अमेठी उम्र करीब 20 वर्ष** को गिरफ्तार किया गया । जामातलाशी से अभियुक्त **सचीन कुमार चौहान के कब्जे से 13,000/- रुपये**, अभियुक्त **सिराजुद्दीन उर्फ लकी के कब्जे से 14,000/- रुपये** व **01 हैण्ड बैग जिसमें 01 आधार कार्ड (वादी का) व 8,400/- रुपये** तथा अभियुक्त **धीरज के कब्जे से 12,000/- रुपये** बरामद हुये। स्पेलेण्डर प्लस मोटरसाइकिल उपरोक्त के कागज मांगने पर दिखा न सके।

पूछताछ में गिरफ्तार अभियुक्तों ने बताया कि वह तीनों दिनांक 19.02.2026 को शाम करीब 08-09 बजे अमर मैरिज लॉन में आ रही एक शादी में सम्मिलित हुये थे तथा उसी बारात में अभियुक्त सिराजुद्दीन उर्फ लकी ने एक व्यक्ति को धक्का मारकर उससे बैग छीन लिया था तथा पास में ही मोटरसाइकिल उपरोक्त से इंतजार कर रहे अभियुक्त सचीन कुमार चौहान व धीरज के साथ वहां से भाग गया था। लूट से प्राप्त रुपये में से कुछ रुपये उनलोगों ने खर्च के लिए निकाल लिए थे तथा शेष रुपये बराबर-बराबर बांट लिया था। बरामद रुपये उसी घटना से प्राप्त रुपये में से शेष बचे हुये हैं । गिरफ्तारी व बरामदगी के संबन्ध में थाना अमेठी पुलिस द्वारा अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम व पता–
1. सचीन कुमार चौहान पुत्र रामदर्शन चौहान निवासी ग्राम तुलापुर कोडरी मजरे नुवांवा थाना व जनपद अमेठी उम्र करीब 19 वर्ष।
2. सिराजुद्दीन उर्फ लकी पुत्र निजामुद्दीन निवासी लोनियापुर थाना व जनपद अमेठी उम्र करीब 19 वर्ष।
3. धीरज पुत्र गया प्रसाद निवासी ग्राम लोनियापुर थाना व जनपद अमेठी उम्र करीब 20 वर्ष।

बरामदगी-
1. लूट के कुल 47,400/- रुपये।
2. 01 हैण्ड बैग व 01 आधार कार्ड (वादी का)।
3. लूट की घटना में प्रयुक्त स्पेलेण्डर प्लस मोटरसाइकिल संख्या यूपी 36 सी 8655।

पंजीकृत अभियोग-
1. मु0अ0सं0 42/26 धारा 309(4), 317(2) बी0एन0एस0 थाना व जनपद अमेठी।
2. स्पेलेण्डर प्लस मोटरसाइकिल संख्या यूपी 36 सी 8655। (धारा 207 एमवी एक्ट।)

गिरफ्तार करने वाली टीम-
1. श्री रवि कुमार सिंह प्रभारी निरीक्षक थाना व जनपद अमेठी।
2. उ0नि0 रामजी सिंह थाना व जनपद अमेठी।
3. हे0का0 ओमप्रकाश राकेश थाना व जनपद अमेठी।
4. हे0का0 संदीप मिश्रा थाना व जनपद अमेठी।
5. का0 सौरभ अग्रहरि थाना व जनपद अमेठी।